

OMR उत्तर पुस्तिका पुनः जाँच हेतु आवेदन-पत्र (आधिकारिक प्रारूप)

सेवा में,
माननीय परीक्षा नियंत्रक,
दिव्या काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इंस्टिट्यूट, रतनगढ़

विषय: OMR उत्तर पुस्तिका पुनः जाँच हेतु आवेदन।

महोदय/महोदया,
सविनय निवेदन है कि मैं पुत्र/पुत्री
कक्षा/पाठ्यक्रम का विद्यार्थी/विद्यार्थिनी हूँ।
मेरा रोल नंबर है। मैंने सत्र की परीक्षा में भाग लिया था।

घोषित परिणाम के अनुसार, मेरे अंक अपेक्षित नहीं हैं। मुझे आशंका है कि मेरी OMR उत्तर पुस्तिका के स्कैन/जाँच में त्रुटि हुई है।
अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया मेरी OMR शीट का पुनः परीक्षण / पुनः जाँच (Rechecking/Rescanning) कराने की कृपा करें।

विद्यार्थी विवरण

- विद्यार्थी का नाम : _____
- पिता/माता का नाम : _____
- कक्षा/पाठ्यक्रम : _____
- रोल नंबर / पंजीकरण संख्या : _____
- परीक्षा का नाम/वर्ष : _____
- विषय का नाम : _____
- प्राप्तांक (परिणाम अनुसार) : _____
- सुधार हेतु कारण : _____
(जैसे – OMR ठीक से स्कैन न होना, उत्तर अंकित होने पर भी अंक न मिलना आदि)
- मोबाइल/ईमेल : _____
- स्थायी पता : _____

संलग्नक

- OMR/मार्कशीट की प्रति
- शुल्क रसीद (यदि लागू हो)
- पहचान पत्र की प्रति

ग्राहक (Undertaking):

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी पूर्णतः सही है। यदि मेरी OMR शीट के पुनः परीक्षण में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके सुधार हेतु मैं परीक्षा प्राधिकरण के नियमों का पालन करूँगा/करूँगी।

तारीख : _____
स्थान : _____

विद्यार्थी के हस्ताक्षर : _____

उद्देश्य

यह नियमावली विद्यार्थियों को उनकी OMR उत्तर पुस्तिका में संभावित त्रुटियों की पारदर्शी और निष्पक्ष पुनः-जाँच की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बनाई गई है।

परिभाषा

- **OMR Rechecking** – इसका आशय केवल OMR शीट के पुनः स्कैन, टोटलिंग या अंकन में हुई तकनीकी/मशीन त्रुटिकी जाँच से है।
- यह प्रक्रिया पुनः मूल्यांकन (Re-evaluation) नहीं है। अर्थात्, दिए गए उत्तरों की गुणवत्ता का पुनः आकलन इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा।

नियम एवं प्रक्रिया

1. आवेदन प्रक्रिया

1. विद्यार्थी को संस्थान के निर्धारित पोर्टल/ऑफिस से **OMR Rechecking Form** प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में भरना होगा।
2. आवेदन केवल ऑनलाइन या लिखित आधिकारिक फॉर्मके माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
3. आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:
 - परिणाम/मार्कशीट की प्रति
 - OMR पुनः-जाँच शुल्क की रसीद
 - पहचान पत्र की प्रति

2. आवेदन की समय सीमा

- परिणाम घोषित होने की तिथि से 7 से 15 दिनों के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
- निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. शुल्क (Fee)

- प्रति OMR शीट पुनः-जाँच हेतु शुल्क ₹ 370 (तीन सो सत्तर रुपये) होगा।
- शुल्क केवल ऑनलाइन/बैंक भुगतानके माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।
- यदि पुनः-जाँच में अंक बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं तो शुल्क की राशि विद्यार्थी को वापस नहीं दी जाएगी।

4. पुनः-जाँच की प्रक्रिया

1. आवेदन प्राप्त होने पर संस्थान की परीक्षा शाखा OMR शीट का दोबारा स्कैन और डिजिटल मिलान करेगी।
2. संभावित त्रुटियाँ जिन्हें जाँचा जाएंगा:
 - OMR बबल सही भरे जाने के बावजूद मशीन द्वारा न पढ़ा जाना।
 - कुल अंकों की गलत गणना।
 - स्कैनिंग/प्रोसेसिंग के दौरान हुई त्रुटि।
3. पुनः-जाँच की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 15–30 कार्यदिवस के भीतर विद्यार्थी को परिणाम की सूचना दी जाएगी।

5. परिणाम (Outcome)

- यदि पुनः-जाँच के बाद अंक संशोधित होते हैं, तो संशोधित मार्कशीट जारी की जाएगी।
- यदि अंक अपरिवर्तित रहते हैं, तो उसी की आधिकारिक सूचना विद्यार्थी को दी जाएगी।

6. सीमाएँ (Limitations)

- यह प्रक्रिया केवल टोटलिंग और स्कैनिंग की त्रुटियोंतक सीमित है।
- किसी भी स्थिति में OMR शीट की पुनः मूल्यांकन (Re-evaluation) नहीं किया जाएगा।
- प्रति परीक्षा, विद्यार्थी केवल एक बार OMR Rechecking हेतु आवेदन कर सकता है।

7. पारदर्शिता और अधिकार

- संस्थान पुनः-जाँच की पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड और लॉग सुरक्षित रखेगा।
- विद्यार्थी को लिखित या ईमेल के माध्यम से आधिकारिक सूचनादी जाएगी।
- संस्थान का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

केवल कार्यालय प्रयोजन हेतु (For Official Use Only)

- आवेदन संख्या : _____
- शुल्क रसीद संख्या : _____
- आवेदन प्राप्ति तिथि : _____
- पुनः-जाँच परिणाम : संशोधित / अपरिवर्तित

अधिकृत अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर : _____

संस्थान कार्यालय मुहर